यालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
ठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 60/2019 GCMS No 2019/00285
दायरा तिथि : 03.09.2019
फैसला तिथि : 17-8-2021
प्रार्थी::–

सुरसिंह पुत्र सरदारसिंहजी जाति रावणा राजपूत
निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रमेशसिंह पुत्र सरदारसिंहजी जाति रावणा राजपुत
2. किशोरसिंह पुत्र सरदारसिंहजी जाति रावणा राजपुत
3. मेवाकवर पुत्री सरदारसिंहजी जाति रावणा राजपुत
4. चन्दाकवर पुत्री सरदारसिंहजी जाति रावणा राजपुत
5. सरस्वती कवर पत्नि सरदारसिंहजी जाति रावणा राजपुत
   निवासीगण बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

दिनांक 17-8-2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बिसलपुर तहसील बाली मे सयुक्त सह खातेदारी मे धारित की जा रही भूमि खसरा नबर 651/2466, 2222/2417, 2230/2468, 2235 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.46 हैक्टर मे **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सुरेशसिंह पुत्र सरदारसिंह** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सुरसिंह पुत्र सरदारसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि मे बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति, नकल गिरदावरी, नकल आधार कार्ड सुरसिंह, नकल पैन कार्ड, नकल परिवार राशन कार्ड, नकल पहचान पत्र चुनाव की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार, बाली ने जाच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि मे त्रुटिपुर्ण नाम **सुरेशसिंह पुत्र सरदारसिंह** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड सुरसिंह, नकल पैन कार्ड, नकल परिवार राशन कार्ड, नकल पहचान पत्र चुनाव मे प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **सुरसिंह पुत्र सरदारसिंह** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि सरदारसिह के फौतेदगी म्यूटेशन के समय होने से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम सुरेशसिंह पुत्र सरदारसिंह** के स्थान पर **सुरसिंह पुत्र सरदारसिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण मे अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 ने नोटिस तामील के बाद दिनांक 27.11.2019 को व्यक्तिशः न्यायालय उपस्थित होकर ईकबालिया जबाव पेश कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज के नाम त्रुटिपुर्ण नाम **सुरेशसिंह पुत्र सरदारसिंह** की जगह सही सही व वास्तविक नाम **सुरसिंह पुत्र सरदारसिंह** दर्ज किये जाने बाबत् कोई आपत्ति नही होना बताया। प्रकरण मे अप्रार्थी सख्या 01 से 05 द्वारा नाम संशोधन किये जाने की सहमति प्रकट करने से तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी श्री विक्रसिंह सोलंकी ने बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एव वास्तविक नाम **सुरसिंह पुत्र सरदारसिंह** है, जिसकी पुष्टि मे प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा नकल आधार कार्ड सुरसिंह, नकल पैन कार्ड, नकल परिवार राशन कार्ड, नकल पहचान पत्र चुनाव प्रस्तुत कर दिये है, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि में नाम **सुरेशसिंह पुत्र सरदारसिंह** दर्ज है, जिसको दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के जबाव व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बिसलपुर तहसील बाली मे प्रार्थी के सयुक्त सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नबर 651/2466, 2222/2417, 2230/2468, 2235 कुल खसरा–04 कुल रकबा 2.46 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सुरेशसिंह पुत्र सरदारसिंह** को दुरस्ती के माध्यम से **सुरसिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा अनुसार शुद्ध दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड मे दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बिसलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री [illegible] प्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
भू0 अभिलेख अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 17-8-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 [illegible] अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)